



Gajendra Singh Mar 21

to me



5:04



ekoshonline.cg.nic.in



School Education Department Office Principal Govt.Boys H.S.S. Wadrafnagar Dist-Balrampur-Ramanujganj(C.G.) - -

| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bill Unit: 22 | PAYSLIP | Month: 02/2022 | BillGross/NetAmt.: 30978/27779 |
| Emp.ID: 56 | | BankA/CNo.: 40476142402 | GPF/DPF/CPS: 110186997917 |
| Name: ANITA | | Emp.Code: 26200030005 | BillNo. & Dt: 298,2/17/2022 |
| Designation: PTI | | | |

-----Drawals-----
-----Deductions/Recoveries-----

| | | |
|---------------|--------------------|---------|
| Basic:24780 | | GIS:300 |
| | GPF/DPF/Tier1:2899 | |
| Trib.All.:240 | Other.All.:800 | |
| D.A.:4213 | HRA:945 | |

GrossSal.:30978 TotalDed.:3199 NetSal.:27779

DDD/SO/AO

Cut Here-----Cut Here-----
-----Cut Here-----



कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

PH ONE NUMBER - 07774 - 230720 EMAIL ID - edu.j.surguja@gmail.com

आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क्र./स्था.2/शि.भर्ती/(T) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/6133 : : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 11/2020/स्था.2/शि.भर्ती/टी/2020/6133 के अन्तर्गत 11/12/2021 को अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रा 1/3/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक- 21-Nov-19 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत Teacher (Physical Education) के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है।

| रोल नं./अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग | पता | पदांकित शाला का नाम | चयनित संवर्ग |
|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13101211 ANITA. FATHER - RAM KUMAR CAT.- SC | H.NO.- MN 740, STREET- IBP ROAD, CITY- VIKAS NAGAR, POST- KUSMUNDA, TEHSIL- KATGORHA, DIST.- KORBA, (CHHATTISGARH) | NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School GIRL,s CHALGALI, BLOCK- WADRAF NAGAR, DIST.- BALRAMPUR- RAMANUJGANJ | SC_F |

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपैन्ड देय होगा:-
प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपैन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

- छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कड़िका 6 की उप कड़िका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) सर्गर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता संभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनई/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी /प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- नव नियुक्त शिक्षक की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।
- उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एव जमें एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में

कार्यालय प्रचार्य शां. ड. भा. वि. चल्गा लो, वा. डूफ, नगर
 जिला बालरामपुर - झ. जौन (झ.प्र.)
 क. 85 / प्र. 5 / 2021.22 - चल्गा लो. वि. 06/05/2022

जिला शिक्षा अधिकाारी
 बलरामपुर, झ. जौन (झ.प्र.)
 विषय:- व्यायाम शिक्षक को जान शारीर मेरुणा बावत
 में पदस्य उपयोग विषय में लेख है कि सेइल
 व्यायाम शिक्षक को जान शारीर मेरुणा बावत
 के अनुसार अगिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर
 सादर स्त-प्रार्थना है।

प्राप्त

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पद नाम | इस्थला का नाम | विशुद्ध वेतन का नाम | नियुक्ति तिथि स्थानियम के बाद | मोबाईल नम्बर |
|------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | अनिता | व्यायाम शिक्षिका | शां. ड. भा. वि. चल्गा लो | वा. डूफ, नगर | 20-12-2021 | 6266327242 |

प्रतिलिपि - विकास खण्ड शिक्षा अधिारी वा. डूफ, नगर को सादर स्त-प्रार्थना है।

प्रिन्सिपल
 25/12/21
 प्राथमिक शिक्षा मण्डल
 वा. डूफ, नगर
 Govt. Hr. Sec. School Chalgol
 Distt. Balrampur (C.G.)

प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परीक्षा अवधि में स्टाफपैण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

Page 1 | 870

- छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) सर्गर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता संभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- नव नियुक्त शिक्षक की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।
- उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एव जमें एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- पदाकित शाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदाकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका WP(S) 1091/2020, WP(S) 3005/2021, WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्वधीन होगा।
- पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।

(बी.ए.के.)
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

Page 2 | 870

पृ.क्र./स्था.2/शि.भर्ती/(T) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/6134
अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

प्रतिलिपि-

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाङ्गफनगर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

Email ID - beownagar11@gmail.com

Phone Number 07772-277565


--: आदेश :-

क्रमांक / 194 / स्था.-2 / 2021-22

वाङ्गफनगर, दिनांक 20.12.2021

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/स्था.-2/शि.म./1/2020/6133/अम्बिकापुर दिनांक 10.12.2021 के द्वारा कुमारी अनिता पिता श्री रामकुमार की नियुक्ति शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप कुमारी अनिता के द्वारा आज दिनांक 20.12.2021 को इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत समस्त दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आज दिनांक 20.12.2021 को मध्याह्न पूर्व पदांकित संस्था शा0उ0मा0वि0 चलगली, विकास खण्ड वाङ्गफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
वाङ्गफनगर, जिला बलरामपुर

पु0 क्रमांक / 194 / स्था.-2 / 2021-22
प्रतिलिपि :-

वाङ्गफनगर, दिनांक 20.12.2021

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शा0उ0मा0वि0वा0वाङ्गफनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, शा0उ0मा0वि0 चलगली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. संकुल प्रभारी/समन्वयक चलगली को सूचनार्थ।
6. संबंधित कुमारी अनिता, शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
वाङ्गफनगर, जिला बलरामपुर

- नहीं होगा।
12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
 13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका WP(S) 1091/2020, WP(S) 3005/2021, WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्वधीन होगा।
 14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(बी.ए.के.)
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ.क्र./स्था.2/शि.भर्ती/(T) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/6134
अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग, की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
11. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं घयनित शिक्षक के द्वारा आपक कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि घयनित शिक्षक को विलम्ब न हो। घयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि घयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। घयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
15. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी-ANITA, H.NO. ,STREET- IBP ROAD, CITY- VIKAS NAGAR, POST- KUSMUNDA, TEHSIL- KATGORHA, DISTT.-KORBA, CHHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

(बी.ए.के.)
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)